खण्ड–29, अंक–01
शुक्रवार, 05 चैत्र, शक संवत्, 1932
(26 मार्च, 2010 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2010)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 29 में 01 अंक है)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	'क'
मंत्रि–परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव	1
प्रश्नकाल के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	1
मंत्रि–परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (क्रमागत) (अस्वीकृत) ...	1–6
प्रश्नोत्तर	6–19
रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	19–20
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	21
नियम–310 के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर में रहने वाले बंगाली समाज की अनियमित भूमि व डैमों के किनारों पर रहने वाले थारू, बुक्सा तथा रायसिख व अन्य की भूमि को नियमित करने के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	22
कार्य–स्थगन की शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट ...	23
नियम–310 के अन्तर्गत सूचनाएं	23
वित्तीय वर्ष, 2010–11 के आय–व्ययक अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :–	23
अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ...	23–24
अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग (स्वीकृत)	24
अनुदान संख्या–08, आबकारी विभाग (स्वीकृत)	25
अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	25
अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग (स्वीकृत) ...	26
अनुदान संख्या–28, पशुपालन विभाग (स्वीकृत)	26–27
अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास एवं रेशम विभाग (स्वीकृत) ...	27
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	27–28

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर में डिग्री कॉलेज के लिए भूमि स्थानान्तरण एवं स्थापना करने के सम्बन्ध में श्रीमती वीना महराना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	28
प्रदेश में लोक निर्माण विभाग पौड़ी के 12वें वृत्त के अन्तर्गत संचालित खण्डों में बजट आवंटित न होने के कारण सैकड़ों मोटर मार्गों का निर्माण ठप्प होने के सम्बन्ध में श्रीमती अमृता रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	28–29
दिनांक 27 मार्च, 2010 को प्रस्तावित मदों को आज के ही उपवेशन में लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	29
वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान (क्रमागत) :–	29
अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग (स्वीकृत)	29–30
अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	30
अनुदान संख्या–01, विधान सभा (स्वीकृत)	30–31
अनुदान संख्या–03, मंत्रि–परिषद् (स्वीकृत)	31
अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	31–32
अनुदान संख्या–07, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें (स्वीकृत)	32
अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल विभाग (स्वीकृत)	32–33
अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वीकृत)...	33
अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	34
अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग (स्वीकृत)	34–35
अनुदान संख्या–22, निर्माण विभाग (स्वीकृत)	35
अनुदान संख्या–27, वन विभाग (स्वीकृत)	35–36
उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010 (पुरः स्थापित एवं पारित) ...	36–40
सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	40
राष्ट्र–गान	41

'क'

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री ओम गोपाल
7–श्री करन मेहरा
8–सुश्री कैरन मेयर
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री केदार सिंह रावत
11–श्री केदार सिंह फोनिया
12–श्री खजान दास
13–श्री खड़क सिंह बोहरा
14–श्री गगन सिंह
15–श्री गणेश जोशी
16–श्री गोपाल सिंह
17–श्री गोपाल सिंह रावत
18–श्री गोविन्द लाल
19–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
20–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21–श्री चन्दन राम दास
22–श्री जोगा राम टम्टा
23–श्री जोत सिंह गुनसोला
24–हाजी तस्लीम अहमद
25–श्री तिलक राज बेहड़
26–श्री दिनेश अग्रवाल
27–श्री दिवाकर भट्ट
28–श्री दिवान सिंह
29–श्री नारायण पाल
30–काजी मौ0 निजामुद्दीन
31–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
32–श्री प्रकाश पन्त
33–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
34–श्री प्रीतम सिंह
35–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
36–श्री प्रेमानन्द महाजन
37–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
38–श्री बलबीर सिंह नेगी
39–श्री बिशन सिंह चुफाल
40–श्री बंशीधर भगत
41–श्री बृज मोहन कोटवाल
42–श्री शेर सिंह
43–मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0
44–श्री मदन कौशिक
45–श्री मनोज तिवारी
46–श्री मयूख सिंह
47–श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महूँ भाई''
48–श्री मातबर सिंह कण्डारी
49–श्री कुलदीप कुमार
50–श्री यशपाल आर्य
51–श्री यशपाल बेनाम
52–चौ0 यशवीर सिंह
53–श्री रणजीत रावत
54–डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''
55–श्री राजकुमार
56–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
57–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
58–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
59–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
60–श्रीमती वीना महराना
61–श्री शहजाद
62–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
63–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
64–श्री सुरेन्द्र राकेश
65–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
66–श्री सुरेश चन्द जैन
67–डा0 हरक सिंह रावत
68–श्री हरभजन सिंह चीमा
69–श्री हरिदास
70–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11 बजे
अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

मंत्रि–परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक'')–

श्रीमन्, मेरे संज्ञान में आया है कि नेता प्रतिपक्ष मंत्रि–परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं। श्रीमन्, जैसा कि आपको पता है कि यह सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। इस सदन के अन्दर भी आपके सानिध्य में जो–जो भी विषय विपक्ष की ओर से आये, श्रीमन्, हमने हमेशा उन पर चर्चा करने का आग्रह भी किया, लगातार हमने कहा कि सरकार हर शब्द, हर विषय का जवाब देने को तैयार है। श्रीमन्, आज प्रदेश में चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे विकास की दृष्टि से हो, इस सदन में मैंने श्रीमन्, पहले भी कहा था कि हमारे कुशल वित्तीय प्रबन्धन के लिए भारत सरकार ने भी .... (व्यवधान)

प्रश्नकाल के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं प्रश्नकाल की जानकारी चाह रहा हूँ, प्रश्न लगा हुआ है, प्रश्नकाल होगा भी या नहीं होगा ?

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी
माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी
बात उठाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)
(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

मंत्रि–परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (क्रमागत)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने यह बड़ी विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि जब मंत्रि–परिषद् पर विश्वास ही नहीं है तो माननीय नेता सदन का कहना यह है कि इस व्यवस्था को तब तक सुव्यवस्थित संचालित नहीं किया जा सकता है जब तक हम विश्वास मत हासिल न कर लें, यह अनुरोध माननीय नेता सदन ने किया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने अविश्वास प्रस्ताव कल दे दिया था और कल चर्चा हो जानी चाहिए थी। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अध्यक्ष जी, यह नियमावली का नियम–271 है जिसमें प्राविधानित है कि यदि 10 बजे से पूर्व सूचना दी जाती है तो उस दिन लिया जायेगा। (घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला 'वेल' में आ गये और 'वेल' से अपनी बात जोर–जोर से उठाने लगे) (घोर व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला अपने स्थान पर चले गये)

(कई माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्य 'वेल' में आकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे तथा सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य प्रश्नकाल की बात कर रहे हैं और आज के प्रश्नकाल में प्रश्न उठाकर के देखें तो श्रीमन्, केवल एक तारांकित प्रश्न और एक अल्पसूचित प्रश्न लगा है। प्रश्नकाल के प्रति कितनी जिज्ञासा है माननीय सदस्यों की, यह इससे स्पष्ट हो जाता है। कितनी जिज्ञासा है सदन के प्रति सदस्यों की यह इससे दिखता है। (मेजों की थपथपाहट)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, नियमावली के नियम–271 के तहत 10 बजे से पूर्व सूचना देनी होती है। यदि 10 बजे से पूर्व सूचना दी जायेगी तो उस दिन के लिए ली जायेगी। अगर 10 बजे से पूर्व सूचना नहीं दी जाती है तो वह दूसरे दिन के लिए ली जायेगी। आज वह विषय, प्रस्ताव रखा जाना है इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी रखिये–अभी रखिये। आप अभी प्रस्ताव रखिये और अभी प्रस्ताव पर चर्चा होगी। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) यदि आप केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन यदि आप वास्तव में गम्भीर हैं तो अभी चर्चा करवाइये।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, या तो विपक्ष चर्चा करे या फिर विपक्ष अविश्वास का प्रस्ताव वापस ले।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। मेरी बात तो आने दीजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, अपने सदस्यों को समझायें कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। नियमों में जो प्राविधान है उसी के अनुसार तो सदन चलेगा। पहले सदन व्यवस्थित तो हो।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आप चर्चा करायें, आप जिन विषयों को उठाना चाहते हैं आप उठाइये, स्वागत है आपका। आप उन विषयों को उठाइये, हम उत्तर देंगे। व्यवधान किस वजह से कर रहे हैं। आप अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं, उस विषय को उठाइये। चर्चा कराइये, सदन का अभिमत जानिये। आखिर यह व्यवधान किस बात के लिए हो रहा है। यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। आप इसलिए चर्चा नहीं कराना चाहते क्योंकि आप के दल की उपस्थिति पूरी नहीं है, मुझे तो यह संशय लग रहा है। इसलिए आप कह रहे हैं कि चर्चा न करी जाए। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े किसी माननीय सदस्य द्वारा कुछ कहने पर)

श्री प्रकाश पन्त–

आप चर्चा कराइये तो सही, स्वागत है आपका। उसके बाद मतदान होगा। उससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। नियमावली के नियम–271 की जो व्यवस्था है वह आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस सम्मानित सदन के समक्ष पीठ से निदेश दिया गया था कि इसे हम कल लेंगे। यह निदेश इस पीठ से लिया गया है।

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यगण 'वेल' में पूर्ववत् अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवस्था के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। अपने स्थान से बात कहें। जब तक माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर नहीं जाते हैं, किसी की बात का संज्ञान न लिया जाय। कृपया स्थान ग्रहण करें। 'वेल' में आपके सदस्य हैं, कृपया स्थान ग्रहण करें। जब अपने स्थान पर जायेंगे तभी तो प्रश्नकाल शुरू होगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। व्यवस्थित आप ही करेंगे, आप अपने स्थान पर नहीं जायेंगे तो व्यवस्थित कैसे होगा ? कृपया स्थान ग्रहण करें। मंत्रि–परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से निम्नलिखित निर्बन्धनों के साथ किया जा सकेगा, अर्थात प्रस्ताव करने की ...... (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करेंगे तभी तो होगा, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, जो अभी माननीय सदस्य दिनेश जी यह कह रहे थे, श्रीमन्, यदि नेता सदन पर और इस सरकार पर भरोसा नहीं है तो मैं एक मिनट भी नहीं चाहूँगा श्रीमन्, जब तक विश्वास हासिल नहीं कर लेता। (तालियों की गड़गड़ाहट) एक क्षण भी नहीं चाहूँगा। इस सदन का कोई भी औचित्य नहीं है, यदि इनका, इस सरकार पर भरोसा नहीं है तो जब तक यह सरकार विश्वास अर्जित नहीं कर लेती।

श्री अध्यक्ष–

स्थान ग्रहण तो करें। (व्यवधान के मध्य)

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, तब तक किसी भी प्रकार से एक क्षण भी तैयार नहीं हैं, किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। अपने स्थान पर जायेंगे तभी तो बात होगी।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् जोर–जोर से अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आपने जो अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी है, आप उसे सदन के सामने लायें। माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य सदस्यों द्वारा जो सूचना दी गयी है कि यह सदन मंत्रि–परिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। इसमें 15 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जो माननीय सदस्य इस पर बल देना चाहते हैं कृपया अपने–अपने स्थान पर जाकर इसके पक्ष में हाथ खड़ाकर अपनी सहमति व्यक्त करें।

(किसी भी माननीय सदस्य ने अपने स्थान पर जाकर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में हाथ खड़े नहीं किये)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे स्वयं यह आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरीके से प्रतिपक्ष इस सदन का समय खराब कर रहा है, यह प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। मैं लगातार यह अनुरोध करता रहा हूँ कि इस राज्य के हित में यह सदन चर्चा करे, इस राज्य के हित में सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव मिलें। इस राज्य की प्रगति की दिशा में हम लोग मिल जुलकर काम करें, लेकिन श्रीमन्, मुझे बहुत दुःख और कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है प्रतिपक्ष सदन का समय खराब कर रहा है। इसलिए श्रीमन्, जो भी चर्चा चाहिए सरकार जवाब देना चाहेगी और जब तक हम विश्वास में नहीं रहेंगे तब तक कोई बात सरकार सुनना नहीं चाहेगी। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

चूँकि नियमानुसार माननीय सदस्यों का, जिन्होंने प्रस्ताव रखा है, उनका कोई भी मत नहीं आया है इसलिए मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े पूर्ववत नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

प्रदेश में स्थित जल विद्युत गृह योजनाओं को निजी हाथों को सौंपने पर विचार

**1–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्थित सभी जल विद्युत गृह लाभ की स्थिति में हैं ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी पुरानी व नई जल विद्युत गृह योजनाओं को निजी हाथों को सौंपने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 में विद्युत गृहवार लाभ हानि का लेखा नहीं रखा जाता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट–उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 3 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

तारांकित प्रश्न

प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में स्वीकृत कार्य एवं कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु उठाये गये कदम

*1–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के अन्तर्गत किस फेज पर कार्य चल रहा है तथा कितना कार्य वर्ष 2009–10 के लिए स्वीकृत किया गया है ?

अपूर्ण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्रीमती विजय बड़थ्वाल)–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज–2 से फेज–7 तक के कार्य प्रगति पर हैं।

योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कार्यों की स्वीकृति फेजवार प्रदान की जाती है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल 750.00 कि0मी0 लम्बाई के मार्गों को निर्मित किये जाने हेतु ₹ 180.00 करोड़ का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कों के कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने हेतु 05 अतिरिक्त खण्डों का सृजन किया गया है।

इस प्रकार वर्तमान में कुल 14 समर्पित खण्ड स्थापित हैं और प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से किये जाने की व्यवस्था की गई है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी अन्तर्गत राज0 इण्टर कॉलेज बसन्तपुर के कक्षों के निर्माण कार्य की प्रगति

1–श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज, बसन्तपुर के लिए विधायक निधि से अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु वर्ष 2000–2001 में चार लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है ?

यदि हाँ, तो स्वीकृत धनराशि से कितने कक्षा–कक्षों का निर्माण प्रारम्भ किया गया है और इन कक्षा–कक्षों के निर्माण की कार्य प्रगति का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इतनी लम्बी अवधि तक स्वीकृत धनराशि का उपयोग न किये जाने तथा निर्माणाधीन कक्षा–कक्षों का निर्माण पूर्ण न किये जाने के प्रति कौन उत्तरदायी है और कब तक इन कक्षा–कक्षों का निर्माण पूर्ण किया जायेगा ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

जी हाँ।

तीन कक्षा–कक्षों का निर्माण तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा प्रारम्भ किया गया था। किन्तु विवाद के कारण मा0 न्यायालय के आदेशानुसार जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्रकरण के निस्तारणोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रकरण में न्यायालयवाद के कारण विलम्ब हुआ है। जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्रकरण के निस्तारणोपरान्त ही कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

जनपद देहरादून अन्तर्गत रायपुर के जू0 हाईस्कूल सेरा चौकी, चामासारी का उच्चीकरण

2–श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि ग्राम पंचायत चामासारी विकास खण्ड रायपुर के अन्तर्गत कोई भी हाईस्कूल नहीं है ?

क्या यह सत्य है कि जूनियर हाईस्कूल सेरा चौकी में चामासारी, नगद्वान गांव, बस्वाल, पटाली, सेरा, सिलकोटी कार्लीगाड, मझाड़ा बगड़ा धोरण आदि गांवों के लगभग 150 बच्चे अध्ययनरत हैं ?

क्या यह भी सत्य है कि नजदीकी कोई भी हाईस्कूल न होने के कारण यहाँ के बच्चों को हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 10 किमी0 की दूरी तय कर गुजराड़ा इण्टर कॉलेज में जाना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जूनियर हाईस्कूल सेरा चौकी चामासारी को हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकृत किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

जूनियर हाईस्कूल सेरा चौकी, विकास खण्ड रायपुर, देहरादून में चामासारी, नगद्वानगाँव, बरवार, पटाली, सेरा, सिलकोटी, बार्लीगाड़, मझाड़, काडाधारण आदि गाँव के लगभग 59 बच्चे पढ़ रहे हैं।

जी हाँ।

विद्यालय द्वारा उच्चीकरण के मानकों को पूर्ण करने पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकता है।

विद्यालय द्वारा उच्चीकरण के मानकों को पूर्ण करने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में असहायतित मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों का जनपदवार विवरण एवं अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्य योजना

3–श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में असहायतित मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों का जनपद वार विवरण क्या है तथा इन विद्यालयों को कब से मान्यता प्रदान की गई और इन विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में कब तक सम्मिलित किया जायेगा ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

प्रदेश के असहायतित मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों का जनपदवार विवरण निम्नवत् है:–

जनपद	संख्या
उत्तरकाशी	48
टिहरी गढ़वाल	14
देहरादून	241
हरिद्वार	96
रुद्रप्रयाग	05
पौड़ी गढ़वाल	81
चमोली	33
अल्मोड़ा	38
नैनीताल	27
पिथौरागढ़	68
बागेश्वर	23
चम्पावत	32
ऊधमसिंह नगर	236
योग	942

इन विद्यालयों को वर्ष 1983 से 2009 के मध्य मान्यता प्रदान की गई है तथा इन्हें अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु नीति विषयक कार्यवाही गतिमान है।

नीति निर्धारित होने के उपरान्त।

आंगनबाड़ी कार्यकर्मियों को स्थायी राजकीय सेवा में सेवायोजन

4–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार ''आंगनबाड़ी कार्यकर्मियों'' को स्थायी राजकीय सेवा में सेवायोजित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की सेवायें मानदेय पर आधारित हैं। अतः आंगनबाड़ी कार्यकर्मियों को स्थायी राजकीय सेवा में सेवायोजित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

5–श्री किशोर उपाध्याय–

द्वितीय सोमवार के अता0 45 में स्था0।

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 'भोजन माताओं' को सरकारी सेवा में सेवायोजन

6–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 'भोजन माताओं' को सरकारी सेवा में सेवायोजित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्यान्ह भोजन योजना केन्द्र की सहायता से संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत खाना पकाने व परोसने के लिए मानदेय पर कार्मिकों की व्यवस्था का प्राविधान है। भारत सरकार द्वारा भोजन माताओं के स्थायी पदों का सृजन नहीं किया गया है।

राज्य में महिलाओं के उत्थान हेतु नीति का निर्धारण

7–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या महिला सशक्तिकरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार राज्य में महिलाओं के उत्थान हेतु नीति का निर्धारण कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

प्रकरण शासन के परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्डों में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का विवरण एवं छात्र–छात्राओं की संख्या

8–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भिक्यासैंण, स्याल्दे व सल्ट में प्राथमिक एवं माध्यमिक कुल कितने विद्यालय हैं तथा विकास खण्ड वार पूर्ण विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त विद्यालयों में पृथक–पृथक छात्र–छात्राओं की संख्या क्या है ?

क्या छात्र–छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार छात्र–छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भिक्यासैंण, स्याल्दे व सल्ट में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का विवरण निम्नवत हैः–

विद्यालय स्तर	विकास खण्ड का नाम			योग
	भिक्यासैंण	स्याल्दे	सल्ट	
रा0इ0का0	13	10	15	38
रा0उ0मा0वि0	08	09	16	33
रा0उ0प्रा0वि0	13	12	22	47
रा0प्रा0वि0	113	134	165	412

उक्त विकास खण्डों के अन्तर्गत विद्यालयों में पृथक–पृथक छात्र–छात्राओं की संख्या का विवरण निम्नवत् हैः–

विद्यालय स्तर	विकास खण्डवार छात्र–छात्राओं का विवरण			योग
	भिक्यासैंण	स्याल्दे	सल्ट	
रा0इ0का0	2656	5871	4380	12907
रा0उ0मा0वि0	1391	1376	2609	5376
रा0उ0प्रा0वि0	365	550	621	1536
रा0प्रा0वि0	2614	4366	5930	12910

जी नहीं।

जी हाँ।

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी व प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के रिक्त पदों पर पदोन्नति से पूर्ति की जा रही है, तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उच्चीकृत विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का समायोजन किया जा रहा है।

प्रवक्ता के सीधी भर्ती के 1404 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 30 मई 2009 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है, नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है, एवं प्रवक्ता के पदोन्नति कोटे के रिक्त 1689 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही भी गतिमान है तथा सहायक अध्यापक एल0टी0 के पदोन्नति के रिक्त पदों हेतु संगत नियमावली के प्राविधानानुसार राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक, प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में 290 पदों हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2010 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यरत ग्रामीण श्रमिकों को मापदण्डों के अनुसार भुगतान हेतु नीति निर्धारण

9–श्रीमती अमृता रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले ग्रामीण श्रमिकों को योजना के मापदण्डों के अनुसार समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो श्रमिकों को नियमानुसार यथा समय भुगतान करवाए जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या नीति निर्धारित की गई है ?

क्या यह भी सत्य है कि ग्रामीण श्रमिकों का भारतीय स्टेट बैंक में खाता न होने के कारण चैक कलैक्शन में अत्यधिक समय नष्ट हो रहा है जिसके कारण श्रमिकों को मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को भुगतान करने/करवाने में भारी विलम्ब हो रहा है ?

यदि हाँ, तो इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

योजनान्तर्गत जिन श्रमिकों के खाते डाकघरों में खोले गये हैं, ऐसे श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने में पूर्व में कठिनाई हो रही थी। इस कठिनाई के निराकरण हेतु जनपद मुख्यालय के मुख्य डाकघर में रौलिंग फण्ड की व्यवस्था कर दी गई है।

मुख्य डाकघर स्तर पर रौलिंग फण्ड में अग्रिम रूप से धनराशि जमा कर मापदण्ड के अनुसार मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था कर दी गई है।

भारतीय स्टेट बैंक की ग्रामीण क्षेत्रों में कम शाखायें होने के कारण योजनान्तर्गत चेकों के कलेक्शन में विलम्ब होता है।

योजनान्तर्गत जिस ग्राम सभा में कार्य कराये जा रहे हैं उस ग्राम सभा के श्रमिकों के बचत खाते जिस बैंक शाखा में खुलवाये गये हैं उसी बैंक की शाखा में कार्यदायी संस्थाओं के खाते भी खोलने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश में प्राइमरी स्कूल से इण्टर कॉलेज तक शिक्षकों के स्वीकृत/कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण एवं मानकानुसार नियुक्ति

10—श्रीमती अमृता रावत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्राइमरी स्कूल से इण्टर कॉलेज तक शिक्षकों के स्वीकृत/कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षकों की कमी के कारण प्रभावित हो रही शिक्षण व्यवस्था के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा प्रदेश के सभी विद्यालयों में स्वीकृत मानकानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—

प्रदेश में प्राइमरी स्कूल से इण्टर कॉलेज तक शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है:—

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
प्रवक्ता,	9312	5914	3398
सहा0अ0 (एल0टी0)	17210	14601	2609
प्र0अ0/स0अ0 (उ0प्रा0वि0)	13313	10993	2320
प्र0अ0/स0अ0 (प्रा0वि0)	25900	22118	3782

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्राथमिक के रिक्त पदों पर बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी व प्रधानाध्यापक, प्राथमिक के रिक्त पदों पर पदोन्नति से पूर्ति की जा रही है तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पदों हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उच्चीकृत विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का समायोजन किया जा रहा है।

प्रवक्ता के सीधी भर्ती के रिक्त पदों (1404) की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 30—05—2009 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है, नियुक्ति

की कार्यवाही गतिमान है तथा प्रवक्ता के पदोन्नति कोटे के रिक्त 1689 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही भी गतिमान है।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2006 के नियम–5(3) की श्रेणी में विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती की प्रक्रिया के तहत नियम–17(1) के अनुसार विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती हेतु राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/पूर्व माध्यमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक एल0टी0 वेतनक्रम हेतु 290 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 24–02–2010 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है।

प्रदेश के विभिन्न राज0प्रा0जू0 हाईस्कूल तथा इण्टर कॉलेज के भवनों/कक्षों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

11–श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान सरकार के शासनकाल में प्रदेश के किन–किन राजकीय प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल तथा इण्टर कॉलेज के भवनों/अनुरक्षण अथवा कक्षा कक्षों के निर्माण हेतु कब–कब कितनी–कितनी धनराशि स्वीकृति की गई है तथा क्या स्वीकृत धनराशि का उपभोग कर लिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

वर्तमान सरकार के शासन काल में प्रदेश के जनपदों से प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में योजनावार निम्नवत धनराशि स्वीकृत की गईः–

बेसिक शिक्षा (प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल)–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्तमान में सरकार के शासन काल में वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में क्रमशः 613 नवीन प्राथमिक विद्यालयों हेतु ₹ 3799.54 लाख, उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु ₹ 5813.76 लाख, 3607 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों हेतु ₹ 6232.30 लाख एवं वृहद मरम्मत हेतु ₹ 102.207 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। जिसके सापेक्ष नवीन प्राथमिक विद्यालय के निर्माण में ₹ 2756.1 लाख, नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण में ₹ 4772.49 लाख की तथा अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण में ₹ 5682.5 लाख तथा वृहत मरम्मत हेतु वृहद मरम्मत पर ₹ 100.9 लाख धनराशि का उपभोग कर लिया गया है एवं शेष धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये स्पिल ओवर कर दिया गया है। जिसका उपभोग निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कर लिया जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा (हाईस्कूल एवं इण्टर कॉलेज)–

विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत हाईस्कूल एवं इण्टर कॉलेजों के भवन निर्माण हेतु वर्ष वार व्यय विवरण निम्नवत् है–

	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10
कक्षा–कक्ष निर्माण	67.2	820.4	97	344.26
प्रयोगशाला निर्माण	87.2	352.9	121.35	368.08
चाहरदिवारी निर्माण	0	127.15	8.32	0
भवन निर्माण	521.88	3922.92	169.38	449.89
भवन अनुरक्षण	86.4	3.85	0	42.72
अन्य मरम्मत/लघु निर्माण	0	16.81	0	125.51

जिला योजना–

1.	कक्षा–कक्ष निर्माण हेतु	850.98 लाख
2.	प्रयोगशाला निर्माण हेतु	1321.75 लाख
3.	चाहरदीवारी हेतु	241.98 लाख

वृहद निर्माण/राज्य योजना–

1.	भवन निर्माण हेतु	7253.52 लाख
2.	अनुरक्षण हेतु	187.81 लाख
3.	मरम्मत एवं लघु निर्माण हेतु	157.16 लाख

स्वीकृत समस्त धनराशि में वर्ष 2009–10 में वृहद निर्माण/राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कुल धनराशि ₹ 406.14 लाख को छोड़कर शेष धनराशि ₹ 6760.44 का उपयोग कर लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के फेज 6 में बिण चैंसर मोटर मार्ग को पूर्ण करने पर विचार

12–श्री मयूख सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के फेज 6 में बिण चैंसर मोटर मार्ग 2 कि0मी0 बनना था जिसका कार्य लगभग 1.5 कि0मी0 पूर्ण हो चुका है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग के प्रारम्भ में 375 मीटर सैन्य क्षेत्र आता है जिसमें सेना को मार्ग निर्माण में आपत्ति है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सैन्य क्षेत्र से उक्त निर्मित मार्ग को जोड़ने के लिये कोई वैकल्पिक मार्ग बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक और कहाँ से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा सेना से अनापत्ति हेतु अनुरोध किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राज्य के प्राथ0 एवं माध्य0 शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने पर विचार

13–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने हेतु राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है ?

यदि हाँ, तो राज्य सरकार इस योजना को क्या 01 मार्च, 2010 से प्रारम्भ करने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्या पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की भांति शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 62 वर्ष की जायेगी ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने हेतु राज्य सरकार को केन्द्र सरकार का कोई निर्देश प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

जी नहीं।

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की भांति शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 62 वर्ष किये जाने पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

शिक्षा विभाग में राज0 प्राथ0, उच्च प्राथ0 एवं माध्य0 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या एवं वर्गवार सूची

14–श्री गोपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कुल कितने शिक्षक कार्यरत हैं तथा कुल कितने शिक्षक सामान्य वर्ग के तथा कितने अनुसूचित जनजाति के हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति का 4 प्रतिशत आरक्षण कोटा (बैकलॉग) पूर्ण कर लिया गया है ?

यदि नहीं, तो कब तक सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के शिक्षकों का बैकलॉग पूर्ण करेगी ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल, सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति के कार्यरत शिक्षकों का विवरण निम्नवत् है–

विद्यालय स्तर	कार्यरत शिक्षक		
	कुल कार्यरत	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जनजाति
रा0प्रा0वि0	22118	15489	550
रा0उ0प्रा0वि0	10993	8839	356
रा0उ0मा0वि0 (सहायक अ0)	14601	11142	256
रा0इ0का0 (प्रवक्ता)	5914	4277	73
योग	53626	39747	1235

जी नहीं।

अनुसूचित जाति, जनजाति के शिक्षकों के बैकलॉग को सीधी भर्ती/पदोन्नति के माध्यम से विषयवार पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद पिथौरागढ़ के एल0डब्लू0एस0 कन्या इण्टर कॉलेज भाटकोट को इण्टर वैज्ञानिक वर्ग को सवित्त मान्यता

15–श्री मयूख सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा अपने पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय कम्प्यूटर संख्या 10/757 मु0म0आ0 1/2006 दिनांक 20–04–2006 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के एल0डब्लू0एस0 कन्या इण्टर कॉलेज भाटकोट को इण्टर वैज्ञानिक अतिरिक्त वर्ग की सवित्त मान्यता दिये जाने हेतु सचिव शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को सवित्त मान्यता प्रदान करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों को सवित्त मान्यता दिये जाने हेतु नीति बनाने की कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है।

नीति निर्धारित होने के उपरान्त।

उपर्युक्तानुसार।

मार्शल, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 1:00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

मा0 अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 3:00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त माननीय सदस्य 'वेल' में बैठे थे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

मेरा सभी सम्मानित सदस्यगणों से अनुरोध है कि कृपया, अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्य अपनी–अपनी बात कहने लगे और नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

घोर व्यवधान के मध्य

मान्यवर, यह तो पीठ की अवमानना है।

*सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, यह तो पीठ की अवमानना है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

घोर व्यवधान के मध्य

कृपया स्थान ग्रहण करें।

जब तक माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर नहीं चले जाते, उनकी किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक विशेषाधिकार हनन की नोटिस है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, आपके द्वारा सदन में सरकार को दिये गये निर्देश के क्रम में, मैं रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के सम्बन्ध में जो अद्यतन जानकारी है, उसके सम्बन्ध में अवगत करा

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज के लिये 300 बैड के वार्ड की आवश्यकता होगी, जिला अस्पताल में 125 बैड के वार्ड उपलब्ध हैं। शेष 175 बैड का नया वार्ड ब्लाक निर्माणाधीन है, जिसका 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, किचन, मार्चरी का निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। ऑपरेशन थियेटर पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका है। बाउँड्रीवाल का भी निर्माण कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण हो चुका है और उम्मीद है श्रीमन्, आने वाले कुछ महीनों में अवशेष निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2010–11 में रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना तथा बेस चिकित्सालय के उच्चीकरण के लिए ₹ ढाई करोड़ प्राविधानित किया गया है। गत वित्तीय वर्ष में प्राविधानित ₹ 1.75 करोड़ को रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के टीचिंग हॉस्पिटल, बेस चिकित्सालय के उच्चीकरण हेतु अवमुक्त किया जा चुका है। इससे पूर्व ₹ 3.00 करोड़ एवं ₹ 5.00 करोड़ रुपया अवमुक्त किया जा चुका है। पूर्व सरकार के कार्यकाल में मात्र ₹ 4.16 करोड़ ही अवमुक्त किये गये थे जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ₹ 9 करोड़ 75 लाख अवमुक्त किये जा चुके हैं। श्रीमन्, इस विषय पर सरकार पूरी तरह से गम्भीर है और प्रयास कर रही है कि शीघ्र से शीघ्र इसकी स्थापना की जा सके।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जो निर्देश पूर्व में दिये जा चुके हैं, उसके अनुपालन में जो अद्यतन स्थिति है, उसके बारे में माननीय सदस्य को अवगत करा दें और उन कार्यों को पूरा कराकर उसके बारे में जो प्रगति की रिपोर्ट है, उसके बारे में माननीय सदस्य को अवगत करा दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

ठीक है, मान्यवर।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत 1. श्री किशोर उपाध्याय, 2. कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री केदार सिंह रावत, 5. श्री तिलक राज बेहड़, 6. श्री दिनेश अग्रवाल, 7. श्री नारायण पाल, 8. श्री प्रेमानन्द महाजन, 9. श्री शहजाद, श्री हरिदास तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की कुल 09 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री किशोर उपाध्याय, कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', श्री प्रीतम सिंह, श्री तिलक राज बेहड़, श्री नारायण पाल की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कुछ नहीं कहना चाहते, इसलिए इसे अग्राह्य किया जाता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' जी का नाम पुकारे जाने पर)

माननीय सदस्य कुछ नहीं कहना चाहते, इसलिए इसे अग्राह्य किया जाता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर)

माननीय सदस्य कुछ नहीं कहना चाहते, इसलिए इसे अग्राह्य किया जाता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ जी का नाम पुकारे जाने पर)

माननीय सदस्य कुछ नहीं कहना चाहते, इसलिए इसे अग्राह्य किया जाता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी का नाम पुकारे जाने पर)

(माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी द्वारा अपने स्थान से कुछ कहा गया, लेकिन घोर व्यवधान के कारण कुछ भी सुनाई नहीं दिया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–310 के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर में रहने वाले बंगाली समाज की अनियमित भूमि व डैमों के किनारों पर रहने वाले थारू, बुक्सा तथा रायसिख व अन्य की भूमि को नियमित करने के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जिला ऊधमसिंह नगर में तुमड़िया जलाशय, हरिपुरा बौर जलाशय, शारदा सागर, नानक सागर, बैगुल डाम एवं धौरा डाम आदि जलाशय हेतु भूमि अधिगृहीत की गई थी। इन जलाशयों में सिंचाई योजनाओं के निर्माण के उपरान्त अवशेष भूमि, जो राजस्व विभाग, वन विभाग व सिंचाई विभाग के स्वामित्व की है, पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा कब्जे किये गये हैं। यह भूमि जलाशय के किनारे की है एवं वर्षाकाल में इनमें जल भराव होने की सम्भावना रहती है। ऐसी भूमियों का नियमितीकरण किया जाना सम्भव नहीं है। जनपद ऊधमसिंह नगर में शक्तिफार्म व गदरपुर में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को वर्ग 8 के पट्टे मौरूसी काश्तकार के रूप में दिये गये थे। पट्टे की जो शर्तें निर्धारित की गयी थीं श्रीमन्, इस विषय पर विचार हेतु आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गयी। समिति द्वारा इन पट्टेदारों के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों द्वारा अपने लीज पट्टों का नवीनीकरण नियमानुसार 30 वर्ष के बाद नहीं कराया गया है। शक्तिफार्म क्षेत्र में क्षेत्र के अधिकांश पट्टेदारों द्वारा अवैध रूप से भूमि का विक्रय किया गया है। कई पट्टेदारों की भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा बना हुआ है। यदि पट्टेदारों को विनियमित किया जाना है तो गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट (केन्द्रीय अधिनियम) एवं जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1050 में संशोधन किया जाना आवश्यक होगा। श्रीमन्, यह प्रकरण क्योंकि अभी पूर्ण रूप से निस्तारित नहीं हुआ है। शासन के विचाराधीन है।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर सदन व्यवस्थित नहीं है और सरकार उसका जवाब देना चाहती है, व्यवधान की वजह से जब हम बहस में ही नहीं आयेंगे और माननीय मंत्री जी अपना तर्क रखते हैं तो वह निरर्थक है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कोई कीर्तिमान तो नहीं बनाना है कि सरकार ने अपना जवाब दे दिया। (घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–स्थगन की शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है। नियम–58 की जो शेष सूचनायें हैं उन पर भी शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

नियम–310 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना प्रदेश में व्याप्त भयंकर पेयजल संकट विषयक माननीय सदस्य डा0 हरक सिंह रावत, माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय एवं माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला की, दूसरी सूचना अल्मोड़ा नगर में दिनांक 24–03–2010 को लगभग 4.00 बजे बक्सी खोला में श्री हेम जोशी, श्री नवीन चन्द्र जोशी, श्री भैरव दत्त जोशी, श्री मोहन चन्द्र जोशी, श्री कैलाश चन्द्र जोशी के मकान में लगी भीषण आग से सम्बन्धित माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी, माननीय सदस्य श्री करन मेहरा, माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह, माननीय सदस्य श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल, माननीय सदस्य श्रीमती अमृता रावत एवं माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा की तथा तीसरी सूचना जनपद ऊधमसिंह नगर में रहने वाले बंगाली समाज की अनियमित भूमि व डैमों के किनारे पर रहने वाले थारू, बुक्सा रायसिख व अन्य की भूमि को नियमित करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री नारायण पाल एवं प्रेमानन्द महाजन की कुल तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिन पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करने का निर्देश देता हूँ।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान:–

अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग

खाद्य एवं राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 3925347 हजार (₹ तीन सौ बयानवे करोड़ तिरपन लाख सैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 3925347 हजार (₹ तीन सौ बयानवे करोड़ तिरपन लाख सैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में बैठकर जोर–जोर से नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 304784 हजार (₹ तीस करोड़ सैंतालीस लाख चौरासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25, खाद्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 304784 हजार (₹ तीस करोड़ सैंतालीस लाख चौरासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–08, आबकारी विभाग

*आबकारी एवं पर्यटन मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 97458 हजार (₹ नौ करोड़ चौहत्तर लाख अठ्ठावन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 97458 हजार (₹ नौ करोड़ चौहत्तर लाख अठ्ठावन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 850376 हजार (₹ पचासी करोड़ तीन लाख छिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 850376 हजार (₹ पचासी करोड़ तीन लाख छिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग

कृषि एवं पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 3719952 हजार (₹ तीन सौ इकहत्तर करोड़ निन्यानवे लाख बावन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 3719952 हजार (₹ तीन सौ इकहत्तर करोड़ निन्यानबे लाख बावन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण पूर्ववत् 'वेल' में बैठकर जोर–जोर से अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–28, पशुपालन विभाग

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 1081040 हजार (₹ एक सौ आठ करोड़ दस लाख चालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी माननीय सदस्य इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 1081040 हजार (₹ एक सौ आठ करोड़ दस लाख चालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास एवं रेशम विभाग

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास एवं रेशम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 821142 हजार (₹ बयासी करोड़ ग्यारह लाख बयालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी माननीय सदस्य इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास एवं रेशम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 821142 हजार (₹ बयासी करोड़ ग्यारह लाख बयालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्रीमती वीना महराना, श्री गणेश जोशी, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री प्रेमानन्द महाजन तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, इनमें से पहली सूचना मा0 सदस्या श्रीमती वीना महराना की है, जो जनपद चम्पावत में

राजकीय महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक का पद रिक्त होने से महिलाओं को आ रही बहुत सी कठिनाईयों के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी की है, जो अल्मोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वाराहाट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौखुटिया को उच्चीकृत कर 150 बैड का अस्पताल बनाते हुए नर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट की स्थापना के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन की है, जो कि जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत आनन्दपुर, विकास खण्ड रुद्रपुर में मानक के विपरीत एक ही स्थान पर (परिसर क्षेत्र में) चार स्टोन क्रेसर लगाने के कारण उत्पन्न प्रदूषण के साथ ही सड़क पर भारी वाहनों के कारण स्कूल बन्द होने की कगार के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश की है, जो कि हरिद्वार जनपद के साबिर पाक पिरान कलियर की दरगाह में मस्जिद निर्माण में तहसीलदार रुड़की व क्षेत्रीय लोगों द्वारा मिलकर अवैध कमेटी बनाकर दरगाह में अवैध रूप से धन इकट्ठा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। मैं इन चारों सूचनाओं पर नियम–53 के अन्तर्गत शासन का ध्यानाकर्षण कर रहा हूँ। शेष सूचना अस्वीकार हुई।

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर में डिग्री कॉलेज के लिए भूमि स्थानान्तरण एवं स्थापना करने के सम्बन्ध में श्रीमती वीना महराना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[राजकीय महाविद्यालय टनकपुर (चम्पावत) वर्तमान में राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज टनकपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पुराने भवन के 06 कक्षों में संचालित हो रहा है। टनकपुर डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण के लिए लीसा डिपो की भूमि के हस्तानान्तरण की कार्यवाही शासन में प्रक्रियाधीन है।]

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग पौड़ी के 12वें वृत्त के अन्तर्गत संचालित खण्डों में बजट आवंटित न होने के कारण सैकड़ों मोटर मार्गों का निर्माण ठप्प होने के सम्बन्ध में श्रीमती अमृता रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री प्रकाश पन्त–

[बारहवां वृत्त लोक निर्माण विभाग पौड़ी में राज्य योजना के अन्तर्गत 462 मोटर मार्ग निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल लागत ₹ 953.54 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य योजना के अन्तर्गत मार्ग चालू कार्यों हेतु बारहवां वृत्त पौड़ी को ₹ 56.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है, जिसके सापेक्ष माह फरवरी 2010 तक वृत्त द्वारा 77.84 प्रतिशत धनराशि उपयोग कर ली गई है।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राज्य सैक्टर के अन्तर्गत सेतु कार्यों के लिए ₹ 7.05 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष वृत्त द्वारा 63.40 प्रतिशत धनराशि व्यय की जा चुकी है।

बारहवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग पौड़ी के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग सम्बन्धित खण्डों द्वारा किया जा रहा है।

वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों से फिर निवेदन कर रहा हूँ, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं सभी सदस्यों से निवेदन है कि कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

दिनांक 27 मार्च, 2010 को प्रस्तावित मदों को आज के ही उपवेशन में लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियमों को निलम्बित करते हुए कल दिनांक 27 मार्च, 2010 को ली जाने वाली अनुदान संख्या–19, 11, 01, 03, 04, 07, 10, 12, 21, 14, 22, 27 तथा उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण की मदें आज ही ले ली जायें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान (क्रमागत) :–

अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्रीमती विजय बड़थ्वाल)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 4972994 हजार (₹ चार सौ सत्तानबे करोड़ उन्नतीस लाख चौरानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 4972994 हजार (₹ चार सौ सत्तानबे करोड़ उन्नतीस लाख चौरानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 29119713 हजार (₹ दो हजार नौ सौ ग्यारह करोड़ सत्तानबे लाख तेरह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11, शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 29119713 हजार (₹ दो हजार नौ सौ ग्यारह करोड़ सत्तानबे लाख तेरह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–1, विधान सभा

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–1, विधान सभा के

अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 206096 हजार (₹ बीस करोड़ साठ लाख छियानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–1, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 206096 हजार (₹ बीस करोड़ साठ लाख छियानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–3, मंत्रि–परिषद्

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–3, मंत्रि–परिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 258854 हजार (₹ पच्चीस करोड़ अठ्ठासी लाख चौवन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–3, मंत्रि–परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 258854 हजार (₹ पच्चीस करोड़ अठ्ठासी लाख चौवन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–4, न्याय प्रशासन विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–4, न्याय प्रशासन विभाग के

अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 864524 हजार (₹ छियासी करोड़ पैंतालीस लाख चौबीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–4, न्याय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 864524 हजार (₹ छियासी करोड़ पैंतालीस लाख चौबीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–07, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ₹ 18739072 हजार (₹ एक हजार आठ सौ तिहत्तर करोड़ नब्बे लाख बहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इस पर कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ₹ 18739072 हजार (₹ एक हजार आठ सौ तिहत्तर करोड़ नब्बे लाख बहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल

विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ₹ 5668371 हजार (₹ पाँच सौ छियासठ करोड़ तिरासी लाख इकहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ₹ 566 8371 हजार (₹ पाँच सौ छियासठ करोड़ तिरासी लाख इकहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री बलवन्त सिंह भौर्याल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ₹ 7987419 हजार (₹ सात सौ अठान्नबे करोड़ चौहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ₹ 7987419 हजार (₹ सात सौ अठान्नबे करोड़ चौहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ₹ 3940739 हजार (₹ तीन सौ चौरान्नबे करोड़ सात लाख उन्तालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ₹ 3940739 हजार (₹ तीन सौ चौरान्नबे करोड़ सात लाख उन्तालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ₹ 208140 हजार (₹ बीस करोड़ इक्यासी लाख चालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ₹ 208140 हजार (₹ बीस करोड़ इक्यासी लाख चालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–22, निर्माण विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ₹ 9150715 हजार (₹ नौ सौ पन्द्रह करोड़ सात लाख पन्द्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ₹ 9150715 हजार (₹ नौ सौ पन्द्रह करोड़ सात लाख पन्द्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–27, वन विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की

पूर्ति के लिये ₹ 3042171 हजार (₹ तीन सौ चार करोड़ इक्कीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ₹ 3042171 हजार (₹ तीन सौ चार करोड़ इक्कीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायं।

(प्रतियां वितरित की गईं)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010

(विधेयक संख्या वर्ष 2010)

31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान ओर विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2010 है। — संक्षिप्त नाम

2. उत्तराखण्ड राज्य की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग ₹ 154519464000 (₹ पन्द्रह हजार चार सौ इक्यावन करोड़ चौरानवे लाख चौसठ हजार मात्र) होता है, अधिक न हो। — उत्तराखण्ड की संचित निधि में से वर्ष 2010–11 के लिए ₹ 154519464000 का दिया जाना

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये गये हैं। — विनियोग

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार ₹ में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3			
01	विधान सभा	राजस्व	201096	8735	209831
		पूँजी	5000	0	5000
02	राज्यपाल	राजस्व	0	46945	46945
		पूँजी	0	0	0
03	मंत्रि–परिषद्	राजस्व	258854	0	258854
		पूँजी	0	0	0
04	न्याय प्रशासन	राजस्व	664524	284002	948526
		पूँजी	200000	0	200000
05	निर्वाचन	राजस्व	96724	0	96724
		पूँजी	0	0	0
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	3550345	14308	3564653
		पूँजी	375002	0	375002
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	18185883	17159305	35345188
		पूँजी	553189	12996300	13549489
08	आबकारी	राजस्व	97457	0	97457
		पूँजी	1	0	1
09	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	66886	66886
		पूँजी	0	10000	10000
10	पुलिस एवं जेल	राजस्व	5466869	0	5466869
		पूँजी	201502	0	201502
11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा	राजस्व	28643404	2	28643406
		पूँजी	476309	0	476309
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	6880743	0	6880743
		पूँजी	1106676	0	1106676
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	7481061	0	7481061
		पूँजी	0	0	0
14	सूचना	राजस्व	203140	0	203140
		पूँजी	5000	0	5000
15	कल्याण योजनायें	राजस्व	3757731	0	3757731
		पूँजी	59006	0	59006

1	2	3			
16	श्रम और रोजगार	राजस्व	523269	0	523269
		पूँजी	11500	0	11500
17	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	3706452	0	3706452
		पूँजी	13500	0	13500
18	सहकारिता	राजस्व	295691	0	295691
		पूँजी	85020	0	85020
19	ग्राम्य विकास	राजस्व	4333994	0	4333994
		पूँजी	639000	0	639000
20	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	2745503	2	2745505
		पूँजी	4183839	0	4183839
21	ऊर्जा	राजस्व	84235	0	84235
		पूँजी	3856504	0	3856504
22	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	3561714	39749	3601463
		पूँजी	5589001	0	5589001
23	उद्योग	राजस्व	460956	0	460956
		पूँजी	128055	0	128055
24	परिवहन	राजस्व	210880	0	210880
		पूँजी	329005	0	329005
25	खाद्य	राजस्व	289783	0	289783
		पूँजी	15001	0	15001
26	पर्यटन	राजस्व	195945	2	195947
		पूँजी	654431	0	654431
27	वन	राजस्व	2922169	0	2922169
		पूँजी	120002	0	120002
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	986303	0	986303
		पूँजी	94737	0	94737
29	औद्यानिक विकास	राजस्व	821142	3944	825086
		पूँजी	0	0	0
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	4480143	0	4480143
		पूँजी	2109507	0	2109507
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	1236964	0	1236964
		पूँजी	735523	0	735523
	योग–	राजस्व	102342974	17623880	119966854
		पूँजी	21546310	13006300	34552610
	महायोग		123889284	30630180	154519464

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़े भारी मन से यह प्रस्ताव कर रहा हूँ, विचार तो था कि 30 तारीख तक यह सदन चलता और अनेकों विषयों पर विचार विमर्श होते और कई दिशा–निर्देश मिलते। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष सदन को चलाना नहीं चाहता है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ''इस सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया जाय।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।

भारत–भाग्य–विधाता।।

पंजाब–सिंध–गुजरात–मराठा

द्राविड़–उत्कल–बंग।

विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,

उच्छल–जलधि–तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन–गण–मंगलदायक जय हे,

भारत–भाग्य–विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय–जय–जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 4 बजकर 43 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ)

देहरादून
दिनांक 26 मार्च, 2010

महेश चन्द्र,
प्रमुख सचिव
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 विधान सभा/413–05–02–2013–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।